सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 11/2014

1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री अरजन सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) (मृतक)
   1/1– हरजिन्द्र कौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति मजहबी निवासी चक 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
   1/2– सुखजीत कौर, 1/3– रविन्द्र कौर — पुत्रीयान स्व0 श्री गुरनाम सिंह जाति मजहबीसिंख नि0 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   1/4– बलविन्द्र सिंह, 1/5– जतेन्द्र सिंह — पुत्रगण स्व0 श्री गुरनाम सिंह जाति मजहबीसिंख नि0 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. बलजीत सिंह पुत्र श्री अरजन सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अपीलांट

बनाम

1. चनन कौर पुत्री सुबासिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. पूर्ण सिंह पुत्र सुबासिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बहादुर सिंह पुत्र सुबासिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. जगत सिंह पुत्र तेजासिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. भगत सिंह पुत्री तेजासिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. महेन्द्र कौर पुत्री अरजनसिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   6/1–बलविन्द्र सिंह उर्फ सुखजिन्द्रसिंह पुत्र श्री हरटेक सिंह जाति मजहबी निवासी अमरगढ नजदीक गोनियाना मण्डी तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब
   6/2–हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री हरटेक सिंह जाति मजहबी निवासी अमरगढ नजदीक गोनियाना मण्डी तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब
   6/3– सर्वजीत सिंह पुत्र श्री हरटेक सिंह जाति मजहबी निवासी अमरगढ नजदीक गोनियाना मण्डी तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब
   6/4– मनजीत कौर, 6/5– नीतू उर्फ रांदीप, 6/6– नीना उर्फ रणदीप कौर, 6/7– सीमा उर्फ सुखदीप कौर — पुत्रीयान श्री हरटेक सिंह जाति मजहबी निवासीगण चक अमरगढ नजदीक गोनियाना मण्डी तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)
7. गुरजीत कौर पुत्री मानसिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 28 एफ तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

8. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह जाति मजहबीसिंख निवासी 28 एफ तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर
9. श्रीमती कृष्णा पुत्री ज्ञानसिंह पत्नी मुंशा सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी खुब्बन तहसील अबोहर व जिला जिला फाजिल्का (पंजाब)
10. संन्दीप कौर पुत्री ज्ञानसिंह पत्नी जिन्दा सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी प्रेमनगर नजदीक बस अड्डा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
11. सरजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी प्रेमनगर नजदीक बस अड्डा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
12. सुखजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी प्रेमनगर नजदीक बस अड्डा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर (राज0)

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : 1. ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलान्ट
2.अप्रार्थीगण अनुपस्थित
3.राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांक : 19–12–17**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता अरजनसिंह पुत्र मोहर सिंह को बतौर नान क्लेममेंट पर चक 21 जैड मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 1,2,3, 8 ता 12, 13/1, 19 ता 22 एवं मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 1 से 25 एवं मुरब्बा नम्बर 37 में किला नम्बर 14/2, 17,18,25 में 9.480 हैक्टेयर रकबा अलाट है। अरजन सिंह का स्वर्गवास हो गया है। जिसके जायज वारिसान अपीलांट तथा अपीलांट के भाई ज्ञानसिंह, मान सिंह, महेन्द्र कौर थे। ज्ञानसिंह व मान सिंह का का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिसान रेस्पोडेंटान संख्या–7 से 12 है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर उपरोक्त इन्तकाल मृतक व्यक्ति के नाम दर्ज करने आदेश दिया।

अपीलान्ट के पिता अरजनसिंह पुत्र मोहर सिंह को चक 21 जैड तहसील श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 34,30,37 में 9.480 हैक्टेयर रकबा अलाट है। अरजन सिंह का स्वर्गवास हो गया है। अरजन सिंह के मरने के बाद उपरोक्त जमीन का कब्जा अरजन सिंह के वारिसान के पास चला आ रहा है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ ने इस पर गौर नहीं किया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अदालत महतात द्वारा जो इन्तकाल तस्दीक किया है वह मृतक व्यक्तियों के नाम किया। जिसमें अरजन सिंह, बलवन्त कौर , तेजा सिंह, निरजन कौर,सुबासिंह, जसवन्त कौर, प्रीतम कौर, इन्द्रकौर, मानसिंह , ज्ञानसिंह का स्वर्गवास हो गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्क व्यक्तियों के नाम आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि मौका पर अपीलांट का कब्जा था तथा बिना अपीलांट को सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अदालत महतात ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सबुत पेश करने का मौका नहीं दिया। अदालत महतात ने लैण्ड एक्ट की धारा 125 से 136 तक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नियम की पालना नहीं की इसलिए आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांक 10.01.2014 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.09.2013 जिसकी पालना में इन्तकाल नम्बर 268 दिनांक 10.01.2014 जारी किया कि अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के प्र0स0 25/2014 की गई जिसका निर्णय दिनांक 26.09.2017 को हो चुका है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.2017 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सनद आदेश दिनांक 26.09.2013 खारिज किया गया है तथा संशोधित सनद अरजन सिंह के विधिक वारिसान के नाम जारी करने के आदेश दिये गये है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना में जारी इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 10.01.2014 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.09.2013 जिसकी पालना में अपीलाधीन इन्तकाल नम्बर 268 दिनांक 10.01.2014 भरा जाकर तस्दीक किया गया है, की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के प्र0स0 25/2014 से की गई जिसका निर्णय दिनांक 26.09.2017 को हो चुका है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.2017 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सनद आदेश दिनांक 26.09.2013 खारिज किया गया है तथा संशोधित सनद अरजन सिंह के विधिक वारिसान के नाम जारी करने के आदेश दिये गये है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 26.09.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.09.2013 को खारिज कर दिया गया है इसलिए उसके अनुसरण में भरा गया अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 10.01.2014 भी खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 19.12.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।